

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या- 65 /2018/902/दो-2-2018-28/2(19)/2018
लखनऊ: दिनांक: 04 जून, 2018
आदेश

- श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, पी0सी0एस0-1992 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-64484 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।
- 2- श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-19/एम0डी0-432/86167/100646, दिनांक 10-01-2018 के अनुसार वर्ष 2015-2016 तक कुल जमा धनराशि रू0-30,35,898/- (रू0-तीस लाख पैतीस हजार आठ सौ अठानवे मात्र) जिसमें माह 3/16 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-27,32,308.02 अर्थात् रू0-27,32,308.00 (रूपये सत्ताईस लाख बत्तीस हजार तीन सौ आठ मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।
- 4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, पी0सी0एस0-1992, तत्कालीन अपर आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
 - 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद ।
 - 4- श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, पी0सी0एस0, सेवानिवृत्त, पता-18-, कावेरी इन्क्लेव, फेस-2, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।